न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

विविध अपील वाद सं0–134/20–21

मो0 समसुद्दीन मियाँ बनाम सोहराय महतो एवं अन्य

आदेश की क्रम एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
20/7/2022	आवेदक मो0 समसुद्दीन मियाँ, पिता–स्व0 मुस्तकीम मियाँ ग्राम–बरूरा, थाना–कुन्दा, जिला–चतरा द्वारा प्राप्त आवेदक में अंचल अधिकारी, प्रतापपुर द्वारा विविध वाद संख्या 09/2019 में विपक्षी पक्ष के पक्ष में दिनांक 15.07.2020 में पारित आदेश के विरूद्ध वकालतनामा के साथ अपील वाद दायर किया गया है । तद्नुसार यह वाद भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा के न्यायालय में प्रारंभ किया गया। उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा द्वारा संबंधित पक्षों को मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, प्रतापपुर से निम्न न्यायालय अभिलेख की मांग की गई। प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष द्वारा अपने–अपने पक्ष में लिखित बहस समर्पित किया गया। **अंचल अधिकारी, कुन्दा द्वारा आदेश पत्रक में उल्लेखित किया गया है कि**–"आवेदक समसुदीन मियाँ, पिता स्व0 मुस्तकीम मियाँ ग्राम–बरूरा के द्वारा दिनांक 26.02.2020 को जनता दरबार में प्राप्त आवेदन पत्र का अवलोकन किया। ग्राम–बरूरा के थाना संख्या–118 के अंतर्गत खाता संख्या–21 प्लॉट संख्या–248 रकवा–0.20 एकड़ एवं 0.80 ए0 भूमि का फर्जी बासगीत पर्चा के जमाबंदी से संबंधित भूमि का जॉच प्रतिवेदन राजस्व उपनिरीक्षक से मॉग की गई। राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम बरूरा थाना संख्या 118 के अंतर्गत खाता संख्या–21 प्लॉट संख्या–248 रकवा–4.94 एकड़ सर्वे खतियान में बुधु जोल्हा पिता पवन जोल्हा साकीनदेह टोला बरवाडीह दर्ज है। संबंधित भूमि सर्वे खतियान के अनुसार रैयती खाते की है, खतियान के आधार पर पंजी–2 के पृष्ठ संख्या 121/1 पर रसीद वर्ष 2018–19 तक निर्गत है। राजस्व उपनिरीक्षक प्रतापपुर के द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि पंजी–2 के पृष्ट संख्या 107/1 पर सोहराई	

महतो के नाम से खाता संख्या 21 प्लॉट संख्या 248 रकवा 0.20 ए0 वासगीत पर्चा केश संख्या–41/1969–70 के आधार पर पंजी–2 के पृष्ट संख्या 07 से लाया गया दर्ज है। राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि पंजी–2 के पृष्ट संख्या 88/4 पर भी सोहराई महतो पिता जोगी महतो के नाम से खाता संख्या 21 प्लॉट संख्या 248 रकवा 0.80 ए0 भूमि वासगीत पर्चा केश संख्या 41/1969–70 दर्ज है। दोनो जमाबंदी में एक ही केश संख्या एवं एक ही वितीय वर्ष दर्ज है, तथा राजस्व तहसिल कचहरी में उपलब्ध अभिलेखों से अवलोकन से स्पष्ट प्रतित होता है, कि वास्तविक रकवा 0.20 ए0 ही दर्ज है, पंजी–2 के पृष्ट संख्या 107/1 में दर्ज खाता संख्या 21 प्लॉट संख्या 248 रकवा 0.80 ए0 सही प्रतित होता है, एवं पंजी–2 के पृष्ट संख्या 88/4 पर दर्ज खाता संख्या 21 प्लॉट संख्या 248 रकवा 0.80 ए0 भूमि संदेहात्मक प्रतित होता है, एवं पजी 2 में पर्चाधारी को फरार घोषित किया गया है, राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है, कि सोहराई महतो पिता स्व0 जोगी महतो ग्राम बधार पंचायत बमने का मूल निवासी है, लाभूक को वासगीत पर्चा ग्राम बरूरा पंचायत बरूरा में निर्गत किया गया है, लाभुक को उपरोक्त खाता प्लॉट में दखल कब्जा नहीं है, एवं पर्चाधारी भूमिहीन भी नहीं है। लाभूक का घर ग्राम बधार से बरूरा की दुरी लगभग 10 किलो मीटर है, राजस्व उपनिरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन अवलोकन किया। पर्चाधारी श्री सोहराई महतो, पिता जोगी महतो ग्राम बधार में कितना भूमि है, से संबंधित इस कार्यालय ज्ञापांक 227 दिनांक 12.06.2020 द्वारा राजस्व उपनिरीक्षक हल्का संख्या 01 से जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई राजस्व उपनिरीक्षक हल्का संख्या 01 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम बधार के थाना संख्या 108 के अंतर्गत खाता संख्या 19 प्लॉट संख्या 22 रकवा 0.04 ए0 भूमि की जमाबंदी पर्चाधारी सोहराई महतो पिता जोगी महतो ग्राम बधार के नाम से दा0 खा0 केश संख्या 47/1991–92 द्वारा पंजी 2 के पृष्ट संख्या 33/1 पर कायम है, एवं श्रीमति मिना देवी पति रमेश यादव एवं धमनीया देवी पति सोहराई महतो के नाम से खाता संख्या 11 प्लॉट संख्या 25 रकवा 0.76 ए0 भूमि दा0 खा0 केश संख्या 80/2014–15 दिनांक 14.02.2015 द्वारा पंजी 2 के पृष्ट संख्या 49/1 पर जमाबंदी कायम है। दोनो हल्का के राजस्व उपनिरीक्षक का जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया संबंधित दोनो पक्षकारों को नोटिस निर्गत करते हुए मूल कागजात के साथ

उपस्थित होने हेतु दिनांक 12.06.2020 को कार्यालय ज्ञापांक 212 दिनांक 06.06.2020 के द्वारा नोटिस निर्गत किया। नोटिस के आलोक में दोनो पक्ष उपस्थित हुए एवं प्रथम पक्ष समसुदीन मियाँ पिता स्व0 मोस्तकीम मियाँ ग्राम बरूरा द्वारा सर्वे खतियान की छायाप्रति लगान रसीद वित्तीय वर्ष 2018–19 तक निर्गत सरकारी लागन रसीद प्रस्तुत किया गया। द्वितीय पक्ष रामप्रवेश यादव ग्राम बधार द्वारा सिर्फ वर्ष 2019/20 तक निर्गत ऑनलाईन सरकारी लगान रसीद प्रस्तुत किया गया है। वासगीत पर्चा केश संख्या 41/1969–70 से संबंधित कागजात समर्पित नहीं किया गया है। दोनो पक्षो द्वारा समर्पित कागजातो, राजस्व उपनिरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन एवं कार्यालय मे उपलब्ध वासगीत पर्चा से संबधित पंजी का अवलोकन किया। वासगीत पर्चा निर्गत पंजी का अवलोकन के पश्चात् स्पष्ट प्रतित होता है कि वासगीत पर्चा पर्चा केश संख्या 41/1969–70 कार्यालय में सोहराई महतो पिता जोगी महतो ग्राम बधार के नाम से खाता संख्या 21 प्लॉट संख्या 248 रकवा 0.20 ए0 संधारित है, एवं वासगीत पर्चा केश संख्या 41/1969–70 खाता संख्या 21 प्लॉट संख्या 248 रकवा 0.80 ए0 भूमि से संबंधित वासगीत पर्चा इस कार्यालय में सोहराई महतो, पिता जोगी महतो ग्राम बधार के नाम से संधारित नहीं है, एवं वासगीत पर्चा इस कार्यालय द्वारा निर्गत नही किया गया है। जाँचोपरांत सोहराई महतो पिता जोगी महतो ग्राम बधार के नाम से वासगीत पर्चा केश संख्या 41/1969–70 रकवा 0.80 ए0 भूमि का जमाबंदी पंजी 2 के पृष्ट संख्या 88/4 पर सोहराई महतो, पिता जोगी महतो ग्राम बधार के नाम से कायम जमाबंदी को बिलोपित किया जाता है, एवं राजस्व उपनिरीक्षक प्रतापपुर को आदेश दिया जाता है कि ग्राम बरूरा के थाना संख्या 118 के अंतर्गत 21 प्लॉट संख्या 248 रकवा 0.80 ए0 भूमि का पंजी 2 के पृष्ट संख्या 88/4 पर कायम जमाबंदी को बिलोपित करते हुए ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत पर रोक लगाना सुनिश्चित करें। अनुपालन हेतु राजस्व उपनिरीक्षक को कार्यालय ज्ञापांक–284 दिनांक 15.07.2022 द्वारा आदेश निर्गत किया गया।

कार्मचारी प्रतिवेदन–आवदेक समसुदीन मियाँ ने आवेदन दिया है कि ग्राम बरूरा थाना नं0 118 के खाता संख्या 21, प्लॉट संख्या 248 का सोहराई महतो ने फर्जी डिमाण्ड खुला कर रसीद निर्गत करवा लिया है। पंजी 2 के अवलोकन के पश्चात् प्रतीत होता है कि ग्राम–बरूरा के पृष्ट

संख्या 107/1 पर सोहराई महतो के नाम से खाता 21 प्लॉट 248 रकवा 0.20 एकड़ वासगीत केस संख्या 41/69-70 के मुताबिक पेज संख्या 7 से लाया गया दर्ज है। पृष्ट संख्या 88/4 पर भी सोहराई महतो पिता जोगी महतो के नाम से खाता संख्या 21, प्लॉट संख्या 248 रकवा 0.80 एकड़ वासगीत केश संख्या 41/69-70 दर्ज है। उपरोक्त दोनो डिमाण्ड में समान केश संख्या तथा वर्ष दर्ज है, तथा ऑफिस के रिकार्ड रूम से रिकार्ड देखकर प्रतीत हुआ कि वास्तविक रकवा 0.20 एकड़ दर्ज है। अतः पृष्ट संख्या 107/1 में दर्ज खाता संख्या 21, प्लॉट संख्या 248, रकवा 0.20 ए० सही प्रतीत होता है एवं पृष्ट संख्या 88/4 में दर्ज खाता संख्या 21, प्लॉट संख्या 248, रकवा 0.80 एकड़ संदेहात्मक प्रतीत होता है।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि–प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि अंचल अधिकारी द्वारा विविध वाद संख्या –09/19–20 में दिनांक–15.07.2020 को पारित आदेश नियमसंगत नहीं है तथा रद्द करने योग्य है। अंचल अधिकारी, प्रतापपुर द्वारा पारित आदेश अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य के अनुरूप नही हैं। अंचल अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को बिना मौका दिए आदेश पारित किया गया है। यह है कि हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा विपक्षी सोहराय महतो के नाम से मौजा–बरूरा, खाता संख्या–21, प्लॉट संख्या–248 संबंधित भूमि का पंजी–II में दर्ज होने का तथ्य सोहराय महतो के प्रभाव में आकर संबंधित प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। यह भी उल्लेखित किया गया है कि हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक प्रतिवेदन अनुसार सोहराय महतो ग्राम–बधार का निवासी है जो Bihar Privileged Persons Homestead Tenancy Act, 1947 के परिधि के अंदर नहीं आते हैं। खाता संख्या–21, प्लॉट संख्या–248, रकवा–4.94 एकड़ भूमि रैयती भूमि है जो बुधु जोल्हा, पिता–पवन जोल्हा (अपीलार्थी के पूर्वज) के नाम से दर्ज हैं। यह है कि उक्त भूमि का वर्तमान जमाबंदी मोस्तकीम मियों जो अपीलार्थी के पिता है के नाम से पृष्ट संख्या–121/1 पर कायम होकर वर्ष 18–19 के लिए रसीद निर्गत है। अंचल अधिकारी, प्रतापपुर द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का दखल कब्जा से संबंधित प्रतिवेदन को नजर अंदाज किया गया है। इस प्रकार अंचल अधिकारी, प्रतापपुर द्वारा विपक्षी के पक्ष में मौजा–बरूरा, थाना–कुन्दा, खाता संख्या–21, प्लॉट संख्या–248,

रकवा–20 डी0 भूमि का निर्गत बासगीत पर्चा को सही बताने संबंधी आदेश रद्द करने योग्य है। यह है कि आवेदक को बासगीत पर्चा वाद संख्या–41/1969–70 के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। जब अपीलार्थी को अवैध बासगीत पर्चा के संबंध में जानकारी हुई तो इनके द्वारा अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के समक्ष आपत्ति आवेदन समर्पित किया गया है। अंचल अधिकारी, प्रतापपुर द्वारा आपत्ति आवेदन स्वीकार करते हुए मौजा–बरूरा, थाना–कुन्दा, खाता संख्या–21, प्लॉट संख्या–248, रकवा–80 डी0 भूमि का निर्गत बासगीत पर्चा को रद्द करने का आदेश पारित किया गया है। यह है कि विपक्षी कभी उक्त मौजा–बरूरा, थाना–कुन्दा, खाता संख्या–21, प्लॉट संख्या–248, रकवा–20 डी0 भूमि का पर कभी भी दखलकार नहीं रहे है तथा इस भूमि पर कोई भी मकान नहीं बना हुआ है। अपीलार्थी के अधिवक्ता के द्वारा अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के द्वारा पारित आदेश जो बासगीत पर्चा वाद संख्या–41/1969–70 के माध्यम से सोहराय महतो के नाम से मौजा–बरूरा, थाना–कुन्दा, खाता संख्या–21, प्लॉट संख्या–248, रकवा–20 डी0 भूमि का निर्गत बासगीत पर्चा के आधार पर नियमित जमाबंदी संबंधी आदेश को रद्द करने हेतु अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि– "यह है कि वर्तमान विविध अपील वाद झारखण्ड Bihar Privileged Persons Homestead Tenancy Act, 1947 के तहत् पोषणीय नहीं तथा अस्वीकृत करने के योग्य है। यह कि अपीलार्थी द्वारा अंचल अधिकारी प्रतापपुर का आदेश दिनांक 15.07.2020 (वाद संख्या 09/2019–20) के विरूद्ध अपील वाद दायर किया गया है, जो पोषणीय नहीं है। यह कि अपीलार्थी को प्रश्नगत भूमि के बारे में कोई जानकारी नहीं है साथ ही साथ अंचल अधिकारी द्वारा वाद को बिना उचित जॉच किये है निष्पादित कर दिया गया है। यह है कि मौजा–बधार, खाता संख्या–21, प्लॉट संख्या–248, रकवा–0.20 एकड़ प्रश्नगत भूमि विपक्षी सोहराय महतो को अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के द्वारा Bihar Privileged Persons Homestead Tenancy Act, 1947 के तहत् बंदोबस्त किया गया है। यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक है कि सोहराय महतो के नाम से बंदोबस्त होने के बाद विपक्षी सोहराय महतो के नाम से डिमाण्ड प्रारंभ किया गया। यह भी उल्लेखित किया गया है कि अपीलार्थी

द्वारा अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के समक्ष विपक्षी का जमाबंदी रद्द करने हेतु विविध वाद 08/20–21 दर्ज किया गया। अंचल अधिकारी, प्रतापपुर द्वारा जाँच प्रतिवेदन का मॉग किया गया। कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विपक्षी का जमाबंदी बिना समक्ष पदाधिकारी के आदेष से कायम किया गया है और प्राधिकार कॉलम में समक्ष पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है। अंचल अधिकारी द्वारा नोटिस निर्गत करें कागजात प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। परंतु विविध वाद संख्या–08/2020–21 में आदेश पारित कर दिया गया है। अंचल अधिकारी, प्रतापपुर द्वारा मौजा बघार, खाता संख्या–21, प्लॉट संख्या–248 रकवा–20 एकड़ भूमि का सोहराय महतो के पक्ष में आदेश पारित कर दिया गया है। समसुद्दीन मियाँ कर्मचारी की मदद से बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश से लगान रसीद निर्गत कर लिया गया है, जो कि गलत, फर्जी एवं बनावटी है। यह है कि अपीलार्थी का प्रश्नगत भूमि पर कोई अधिकार दखल कब्जा नहीं हैं। यह भी उल्लेखित किया गया है कि खाता संख्या 21, प्लॉट संख्या–248, रकवा 04.94 एकड़ भूमि बुधु जोल्हा, पिता पवन जोल्हा के नाम रैयती दर्ज है, जो अपीलार्थी के पूर्वज है। यह है कि वर्तमान जमाबंदी मोस्तकिम मियाँ अपीलार्थी के पिता का पर्जी 2 के पृष्ट संख्या 121/1 पर कायम है तथा लगान रसीद 2018/19 के लिए निर्गत किया गया है। अंचल अधिकारी प्रतापपुर आदेश हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदन को नजर अंदाज किया गया है। विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा खाता संख्या 21, प्लॉट संख्या–248, रकवा–08 डी0 से संबंधित अंचल अधिकारी, प्रतापपुर का आदेश दिनांक 15.07.2020 को आंशिक रूप से रद्द करने एवं अपीलार्थी के अपील आवेदन को खरिज करने हेतु अनुरोध किया गया है। साथ ही साथ अपीलार्थी के जमाबंदी को रद्द करने हेतु भी अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त दोनो पक्षों द्वारा समर्पित लिखित कथन, अंचल अधिकारी, प्रतापपुर द्वारा पारित आदेश, राजस्व उपनिरीक्षक का प्रतिवेदन तथा निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न अन्य कागजातों के अवलोकन से निम्नांकित बिन्दु परिलक्षित होते है–

1. **प्रथम पक्ष खतियान रैयत के वंशज** :– ग्राम बरूरा थाना संख्या 118 के अंतर्गत खाता संख्या–21 प्लॉट संख्या–248 रकवा–4.94 एकड़ सर्वे खतियान में बुधु जोल्हा पिता पवन जोल्हा साकीनदेह टोला

बरवाडीह दर्ज है। संबंधित भूमि सर्वे खतियान के अनुसार रैयती खाते की है, खतियान के आधार पर पंजी–2 के पृष्ठ संख्या 121/1 पर रसीद वर्ष 2018–19 तक निर्गत है, अर्थात् प्रथम पक्ष के पक्ष में जमाबंदी कायम है।

2. **द्वितीय पक्ष का दावा वासगीत पर्चा के आधार** – अंचल अधिकारी, प्रतापपुर द्वारा आदेश पत्रक में उल्लेखित किया गया है कि वासगीत पर्चा निर्गत पंजी का अवलोकन के पश्चात् स्पष्ट प्रतीत होता है कि वासगीत पर्चा पर्चा कश संख्या 41/1969–70 कार्यालय में सोहराई महतों पिता जोगी महतो ग्राम बघार के नाम से खाता संख्या 21 प्लॉट संख्या 248 रकवा 0.20 ए0 संधारित है। **राजस्व उपनिरीक्षक के प्रतिवेदन में अंकित है कि**– "पंजी 2 के अवलोकन के पश्चात् प्रतीत होता है कि ग्राम–बरूरा के पृष्ट संख्या 107/1 पर सोहराई महतो के नाम से खाता 21 प्लॉट 248 रकवा 0.20 एकड़ वासगीत केस संख्या 41/69–70 के मुताबिक पेज संख्या 7 से लाया गया दर्ज है।" साथ ही द्वितीय पक्ष के द्वारा खाता संख्या–21, खेसरा संख्या–248, रकवा–20 डीसमील भूमि का वर्ष 2019–20 का ऑनलाईन निर्गत लगान रसीद अभिलेख में संलग्न किया गया है, अर्थात् द्वितीय पक्ष का उक्त 20 डीसमील भूमि का भी जमाबंदी कायम है।

अचंल अधिकारी प्रतापपुर द्वारा ग्राम बरूरा के थाना संख्या 118 के अंतर्गत 21 प्लॉट संख्या 248 रकवा 0.80 ए0 भूमि का पंजी 2 के पृष्ट संख्या 88/4 पर कायम जमाबंदी को बिलोपित करते हुए ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत पर रोक लगाने हेतु ओदश पारित किया गया है परन्तु ग्राम–बरूरा के पृष्ट संख्या 107/1 पर सोहराई महतो के नाम से खाता 21 प्लॉट 248 रकवा 0.20 एकड भूमि का जमाबंदी कायम से संबंधित कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

3. अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के आदेश एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों से स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के मूल कायम जमाबंदी में विरोधाभास है।

उपरोक्त तथ्यों, अंचल अधिकारी, प्रतापपुर का आदेश एवं अभिलेख में संलग्न अन्य कागजातों के अवलोकन से पता चलता है कि चूँकि दोनों पक्षों का जमाबंदी कायम होकर पंजी–II में दर्ज है। संबंधित पक्षों का दखल कब्जा का भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। संबंधित पक्षों का जमाबंदी

कब से कायम है, यह पूर्ण रूपेण स्पष्ट नहीं है, लेकिन अभिलेख में उपलब्ध कागजातों से स्पष्ट है कि दोनों पक्षों का जमाबंदी लंबे समय से कायम है। अतः स्वत्व का मामला परिलक्षित होता है। इसलिए संबंधित मामले में किसी तरह का आदेश पारित करना उचित प्रतीत नहीं होता है। संबंधित पक्ष चाहे तो सक्षम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं।

वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

अंचल अधिकारी, कुन्दा को संबंधित मूल अभिलेख एवं आदेश की प्रति भेजें।

(लेखापित एवं संशोधित)

20/7/22
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

20/7/2022
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

Digitally signed by GOURANG MAHATO
Date: 2022.12.26 21:46:36 -08:00
Location: 2409:4064:229a:40cc:4813:47ca:9b65:19dc